उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

दाखिल खारिज रिविजन वाद संख्या–22/2022

पवन स्वर्णकार बनाम् लक्ष्मण मुण्डा वगै०

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
20.12-2022	इस वाद की कार्यवाही अपीलार्थी पवन स्वर्णकार, पिता–स्व० जगरनाथ साव निवास स्थान–कुवर टोला, थाना–रामगढ़, जिला–रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर सी०आर०आर० वाद संख्या–02/2018–19 लक्ष्मण मुण्डा वगै० बनाम् अंचल अधिकारी, रामगढ़ एवं अन्य में दिनांक–18.03.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S –16 Tenants Holding (Maintenance of Record) Act के तहत रिवीजन दायर किया गया। जिसे अंगीकृत करते हुए द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गई। प्रश्नगत भूमि ग्राम–कुवर टोला के खाता सं०–05/326, प्लॉट नं०–1467, रकवा–0.60 ए० भूमि से संबंधित है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि ग्राम–कुवर टोला के खाता सं०–05/326, प्लॉट नं०–1467, रकवा–0.60 ए० भूमि सर्वे खतियान में बकास्त खाता दर्ज है। अपीलार्थी का कहना है कि विपक्षी के द्वारा यह कहना की खाता संख्या–05/326 गैर मजरूआ खास खाते की भूमि है। गलत है। वास्तविक में खाता संख्या–05/326 राजा रामगढ़ का बकास्त खाते की भूमि है। राजा रामगढ़ ने खाता संख्या–05/326 प्लॉट संख्या–1467, रकवा–0.60 ए० एवं खाता संख्या–01, प्लॉट संख्या–1407, रकवा–1.38 ए० भूमि श्रीमती मंजरी देवी को दान में दिया गया, एवं मंजरी देवी के नाम से लगान रसीद निर्गत होता रहा है। मंजरी देवी के मुत्यु के पश्चात् उक्त भूमि का लगान अपीलार्थी के द्वारा दिया जा रहा है। उन्होनें भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा दिनांक–18.03.2021 को पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–कुवर टोला, खाता सं० 05/326 प्लॉट सं०–1467, रकवा–0.99 ए० भूमि सर्वे खतियान में बकास्त खाता दर्ज है। उक्त भूमि विपक्षी के पुर्वज रोगन मुण्डा, पिता–शिवलाल मुण्डा को 1935 में भूतपुर्व जमीनदारी से हुकुमनामा बंदोबस्ती से प्राप्त है। एवं पंजी–II के पृष्ठ सं०–491/II पर जमाबंदी कायम है। तथा उक्त भूमि पर प्रतिवादी के पिता पचकौडी मुण्डा के द्वारा मकान बनाया गया है। उन्होनें भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा सी०आर०आर० वाद संख्या–02/2018–19 में दिनांक–18.03.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा दायर आवदेन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया है। सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बहस के दौरान कहा गया है कि मामला स्वत्व से संबंधित है जिसका निराकारण सक्षम न्यायालय में ही संभव है। इसलिए उन्होंने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा पारित आदेश से सहमत होने की बात कही गई है।	

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों को अवलोकन करने से स्पष्ट है कि मौजा–कुवर टोला, खाता सं०–05/326, प्लॉट नं०–1467 कुल रकवा–0.60 ए० भूमि सर्वे खतियान बकास्त खाते की भूमि दर्ज है। अंचल अधिकारी, रामगढ़ के प्रतिवेदन के अनुसार मौजा–रामगढ़ थाना सं०–82 के अन्तर्गत खाता सं०–1 एवं 5 सर्वे खतियान में बकास्त दर्ज है। मौजा–रामगढ़ के खाता सं०–5/326 प्लॉट सं०–1467, रकवा–0.99 ए० के अलावे अन्य प्लॉट कुल रकवा–1.72 ए० भूमि रोगन मुण्डा, पिता–शिवलाल मुण्डा के नाम से जमींदारी बंदोबस्ती के द्वारा प्राप्त है। एवं पंजी–II के पृष्ठ सं०–491/II पर जमाबंदी कायम है। मौजा–रामगढ़ के खाता सं०–1, प्लॉट नं०–1407, रकवा–1.38 ए० एवं खाता सं०–5, प्लॉट नं०–1467, रकवा–0.60 ए० कुल रकवा–1.98 ए० की जमाबंदी पंजी–II के पृष्ठ सं०–96/48 पर मंजरी देवी पति–जगरनाथ साव के नाम से कायम है।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन एवं सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के द्वारा मौजा–रामगढ़ कुवर टोला के खाता सं० –05/326 प्लॉट सं०–1467, रकवा–0.60 ए० भूमि का दावा सादा हुकुमनामा से किया जा रहा है। जबकी विपक्षी के द्वारा भी उसी भूमि की प्राप्ति का दावा जमींदारी बंदोबस्ती से की जा रही है। अंचल अधिकारी, रामगढ़ के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दोनों पक्षों की जमाबंदी कायम है। पंजी–II के पृष्ठ सं०–96/48 पर मंजरी देवी, पति–जगरनाथ साव के नाम से कायम जमाबंदी को अंचल अधिकारी, रामगढ़ के द्वारा रद्द करने की अनुशंसा किये है। लेकिन किसी पक्ष के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उक्त जमाबंदी किस सक्षम पदाधिकारी का आदेश से कायम है। चूँकी प्रश्नगत भूमि बकास्त खाते की है इसलिए उक्त भूमि की सक्षम पदाधिकारी के द्वारा विधिवत् लगान निर्धारण आवश्यक प्रतीत होता है। लेकिन किसी भी पक्ष के द्वारा लगान निर्धारण संबंधी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। अर्थात दोनों पक्षों की जमाबंदियाँ संदेहात्मक प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा सी०आर०आर० वाद संख्या–02/2018–19 लक्ष्मण मुण्डा वगै० बनाम् अंचल अधिकारी, रामगढ़ एवं अन्य में दिनांक–18.03.2021 को पारित आदेश को यथावत् रखते हुए रिविजन आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

माधवी मिश्रा
20.12.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
20.12.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by MADHVI MISHRA
Date: 2023.01.05 12:35:13 +05:30
Location: 192.168.0.4